534

राजस्थान सरकार मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 26(1)मंमं / 2011पार्ट

जयपुर, दिनांकः 26/4/6

- 1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 2. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

विषय:-वर्ष 2016 के लिये जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला के लिए सिफारिशें।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्ध शासकीय पत्र कमांकः सं० 17/2/2016—पब्लिक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 14.3.2016 की प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "जीवन रक्षा पदक शृंखला पुरस्कार—2016" हेतु प्रस्ताव दिनांक 30.09.2016 तक आमंत्रित किये गये हैं। यह पुरस्कार किसी की जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

अतः निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों के प्रस्ताव "जीवन रक्षा पदक शृंखला पुरस्कार—2016" हेतु आपकी अनुशंषा सहित आवश्यक रूप से दिनांक 31.08.2016 तक दो प्रतियों में इस सचिवालय को भिजवाये जाने का श्रम करावें, ताकि राज्य सरकार की अनुशंषा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भिजवाई जा सके।


दिनांक 31.08.2016 तक इस सचिवालय में प्राप्त प्रस्तावों पर ही विचार किया जावेगा तथा इसके बाद प्राप्त प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(अर्जीत कुमार सिंह) अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि वरिष्ठ शासन उप सचिव (पुलिस), गृह (ग्रुप–1) विभाग को उनके पत्र कमांकः प 9(10)गृह–1/16 दिनांक 7.4.2016 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(हरी बाबू शर्मा) सलाहकार ०८ सं. 17/2/2016-पब्लिक भारत सरकार गृह मंत्रालय



नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

1 4 MAR 2016

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव

सभी संघ शासित क्षेत्र सरकारों के प्रशासक

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों के सचिव 3.

सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक 4.

महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल 5.

महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 6.

महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्डस

गृह (ग्रप-1) खिलाव शासन भाचवालय, जयपुर डाबरी कमांक 1115 717 1996 - 3-16

विषय: - वर्ष 2016 के लिए जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला के लिए सिफारिशें।

महोदय/महोदया

जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार, डूबने, दुर्घटना के मामलों, आग लगने की घटनाओं, बिजली का करंट लगने, भू-स्खलन होने, पशुओं के हमलों और खानों में बचाव-कार्य आदि घटनाओं में किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए किए गए मानवीय प्रकृति के सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किये जाते हैं। जैसा कि इस पुरस्कार के नाम से ही स्पष्ट है, यह पुरस्कार किसी की जान बचाने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। यह निम्नलिखित तीन श्रेणियों में प्रदान किया जाता है:-

सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक - उस स्थिति में प्रदान किया जाता है जब जान बचाने वाले व्यक्ति ने अपनी जान को अत्यधिक खतरनाक परिस्थितियों में डालकर जान बचाने में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया हो ।

उत्तम जीवन रक्षा पदक - उस स्थिति में प्रदान किया जाता है जब जान बचाने वाले व्यक्ति ने अपनी जान को खतरनाक परिस्थितियों में डालकर जान बचाने में साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया हो ।

जीवन रक्षा पदक - उस स्थिति में प्रदान किया जाता है जब जान बचाने वाले व्यक्ति ने उन परिस्थितियों में जान बचाने में साहस और तत्परता का प्रदर्शन किया हो जिनमें उसे गंभीर शारीरिक चोटें पहुंची हों।

जीवन के सभी क्षेत्रों के महिला एवं पुरुष इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं । सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और मान्यताप्राप्त अग्निशमन सेवाओं आदि के सदस्य इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं बशर्त कि उन्होंने जीवन रक्षक कार्य अपनी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त किया हो। यह पुरस्कार मरणोपरान्त भी प्रदान किया जाता है।

5x. 95(8) 21/3 () 22/3/10/6 21/3 () 22/3/10/6

- 3. गृह मंत्रालय इन पुरस्कारों के लिए प्रतिवर्ष सभी राज्य सरकारों / संघे शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों से सिफारिशों आमंत्रित करता है । इन सिफारिशों की एक उच्चस्तरीय पुरस्कार समिति द्वारा जांच की जाती है जो अपनी सिफारिशें प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है ।
- 4. राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन के पश्चात पुरस्कार का अलंकरण अर्थात् पदक तथा प्रमाणपत्र, मौद्रिक भत्ते के डिमांड ड्राफ्ट सहित, संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है।
- 5. पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आया है कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं, उग्रवादी हमलों, डूबने/ आगजनी की घटनाओं के दौरान व्यक्तियों द्वारा किए गए जीवन रक्षा के विभिन्न कार्यों की जानकारी प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा दी जाती है। तथापि, पराक्रम और शौर्य के इन महत्वपूर्ण कार्यों को उन राज्य / संघ शासित क्षेत्र सरकारों एवं प्राधिकरणों द्वारा समुचित रूप से नामांकन न किए जाने के कारण मान्यता नहीं मिल पाती जिनके क्षेत्राधिकार में यह घटित होते हैं। आप यह मानेंगे कि पुरस्कार और अलंकरण किसी व्यक्ति द्वारा की गयी सेवाओं को मान्यता देने के मूर्त प्रतीक होते हैं। ये पुरस्कार दूसरों को भी आवश्यकता के समय इसी तरह के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करते हैं। अतः संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों के नामांकन इस मंत्रालय के विचारार्थ भेजें।
- 6. पुरस्कारों के लिए सिफारिशें संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-I) में भेजी जानी होती है । जैसा कि आप प्रपत्र में देखेंगे कि प्रत्येक मामले में जीवन-वृत्त के अतिरिक्त, वर्णनात्मक रूप में एक विस्तृत प्रशस्ति-विवरण भी भेजा जाना होता है जिसमें घटना का क्रमवार ब्यौरा तथा व्यक्ति (बचावकर्ता) की विशिष्ट भूमिका/ योगदान का उल्लेख किया गया हो । प्रत्येक मामले में एक चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र भी संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-II) में प्रस्तुत करना होता है । यह भी नोट किया जाए कि पुरस्कार समिति द्वारा इस पुरस्कार के लिए की गयी सिफारिशों पर कार्य को अंजाम दिए जाने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर विचार किया जाता है । अतः वर्ष 2016 के लिए, 01/10/2014 से पूर्व में घटित जीवन रक्षक घटनाओं के संबंध में इस मंत्रालय के विचारार्थ कोई सिफारिश नहीं भेजी जानी चाहिए।
- 7. कृपया यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष 2016 के लिए जीवन ख्शा पदक पुरस्कारों के लिए सिफारिशें इस मंत्रालय में 30 सितम्बर, 2016 तक भेज दी जाएं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय, 🔈

(अनुज शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार दूरभाष सं. 2309 2436

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला के लिए प्रपत्र

- 1. अंग्रेजी में पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
- 2. हिन्दी में पूरा नाम (अनिवार्य)
- 3. जन्म-तिथि/ आयु
- 4. पत्राचार का पूरा पता (दूरभाष संख्या : आदि सहित)
- 5. घटना की तारीख
- 6. बचाए गए व्यक्तियों की संख्या
- निकटतक संबंधी का नाम और उससे संबंध
 (मरणोपरांत पुरस्कार के मामले में)
- 8. संस्तुत पुरस्कार * अर्थात सर्वोत्तम जीवन : स्था पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक अथवा जीवन रक्षा पदक
- 9. पुरस्कार के लिए चयन हो जाने की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा का नाम तथा कोड जिसमें वित्तीय अनुदान का डिमांड ड्राफ्ट देय होगा। (अनिवार्य)
- पहले प्राप्त जीवन रक्षा पदक पुरस्कार
 श्रृंखला का ब्योरा, यदि कोई है

पुरस्कार : वर्ष :

प्रशस्ति

- # यह प्रशंसात्मक विवरण के रूप में होने चाहिए जिसमें लगभग 200-250 शब्दों में जीवन रक्षक कार्य का पूरा ब्यौरा (क्रम-वार) दिया गया हो (अलग शीट नत्थी करें)।
 - * संस्तुत पुरस्कार की श्रेणी का निरपवाद रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

टिप्पणीः सभी स्तंभ पूर्णतया भरे जाने चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा ।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि (संस्तुत व्यक्ति (यों) का नाम) के चरित्र एवं पूर्ववृत्त की जांच कर ली गई है और यह पुष्टि की जाती है कि रिकार्ड में कुछ भी उनके प्रतिकूल नहीं है।

(हस्ताक्षर)

संस्तुत करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पद नाम दिनांक:

MOST IMMEDIATE

No.17/2/2016-Public Government of India/Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya ******

1 4 MAR 2016

North Block, New Delhi-110 001 Dated the 11 March, 2016.

 T_{C}

- 1. The Chief Secretaries of all State Governments
- 2. The Administrators of all UT Administrations
- 3. The Secretaries of all Ministries/Departments of the Govt. of India
- 4. The Directors General of all Central Armed Police Forces
- 5. The Director General, Railway Protection Force
- 6. The Director General, National Disaster Response Force
- 7. The Director General, Civil Defence & Home Guards

Sub: Recommendations for Jeevan Raksha Padak series of awards-2016.

Sir/Madam,

Jeevan Raksha Padak series of awards are given for meritorious acts of humane nature in saving the life of a person in incidents like drowning, accidents, fire incidents, electrocution, land slides, animal attack and rescue operation in mines etc. As the name of the award suggests, the award is given to a rescuer for saving someone's life. It is given in the following three categories:-

- i) Sarvottam Jeevan Raksha Padak awarded for conspicuous courage in saving life under circumstances of very great danger to the life of the rescuer.
- ii) Uttam Jeevan Raksha Padak awarded for courage and promptitude in saving life under circumstances of great danger to the life of the rescuer.
- iii) Jeevan Raksha Padak awarded for courage and promptitude in saving life under circumstances of grave bodily injury to the rescuer.
- 2. Persons of either sex in all walks of life are eligible for these awards. Members of the Armed Forces, Police Forces and of recognized Fire Service etc. are eligible for these awards provided the life saving act is performed by them otherwise than in the course of their duty. The award is also conferred posthumously.
- 3. Every year, the Ministry of Home Affairs invites recommendations from all State Governments/UT Administrations and Ministries/Departments of the Government of India for these awards. The recommendations are examined by a high-level Awards Committee, which makes its recommendations to the Prime Minister and the President.


- 4. After approval of the President, the decoration of the award, i.e., Medai and Certificate along with the Demand Draft of monetary allowance in respect of the awardees, are sent to the concerned recommending authorities.
- 5. Over the last few years, it has been observed that various acts of life saving by individuals during natural calamities, accidents, extremists attack, drowning/fire incidents etc. are reported in the print and electronic media. However, such valiant and gallant acts, go unrecognized in the absence of suitable nominations by the State/UT Government and authorities under whose jurisdiction such acts take place. You would appreciate that awards and decorations are tangible tokens of recognition of the services rendered by an individual. Such awards encourage and motivate others for similar action in the hour of need. The concerned authorities are, therefore, requested to send suitable and deserving nominations to this Ministry for consideration.
- 6. The recommendations for the awards are to be forwarded in the enclosed proforma (Annexure-I). As you would notice from the proforma, in addition to the bio-data, a detailed citation in narrative form, clearly bringing out the sequence-wise details of the incident as well as the specific role/contribution of the person (rescuer) is to be forwarded in each case. A character and antecedents verification certificate is also to be furnished in each case in the enclosed protorma (Annexure-II). It may also be noted that the recommendations for this award are considered by Awards Committee within a period of two years from the date of performance of the act. Therefore, for the year 2016, any recommendation in respect of which the date of performance of the act falls prior to 1st October 2014 should not be forwarded to this Ministry for consideration.
- 7. It may kindly be ensured that recommendations for Jeevan Raksha Padak series of awards for the year 2016 are sent to this Ministry latest by 30th September 2016.

Yours faithfully,

Encls. A/a

(Anuj Sharma)
Director to the Govt. of India

Tele: 2309 2436




PROFORMA FOR JEEVAN RAKSHA PADAK SERIES OF AWARDS

1.	Full Name in English (in Block letters)	•	
2.	Full name in Hindi (Compulsory)		
3.	Date of Birth/Age	•	
4.	Complete postal address (with phone numbers etc.)	•	
5.	Date of Incident	:	
6.	Number of lives saved		
7.	Name of the Next-of-kin along with relationship (in case of Posthumous award)	•	
8.	Award recommended * viz. Sarvottam Jeevan Raksha Padak, Uttam Jeevan Raksha Padak or Jeevan Raksha Padak		
9.	Name and code of Nearest Branch of State Bank of India at which the Demand Draft for monetary grant may be made payable in case the person is selected for the award (Compulsory)		
10.	Details of Jeevan Raksha Padak Series of Award received earlier, if any	: ,	Award: Year:

CITATION#

- This should be in form of a write-up giving complete details (sequence wise) of the life saving act in about 200-250 words (separate sheet to be attached).
- * The category of award recommended should invariably be mentioned.

Note: All columns must be completed in all respects failing which the application will be rejected.



CERTIFICATE

It is certified that the character and antecedents of (Name of the person(s) recommended) have been verified and it is confirmed that there is nothing adverse against him/her on record.

(Signature)
Name & Designation of the Recommending Authority
Date:

•